

# MADHUPUR NAGAR PARISHAD

Duplicate copy

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किंवे गवे सम्पती कर की सूचना।

Memo No. : 972823040124110352

Date : 04-01-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री KOUSHAL KISHOR S/O KAMESHWAR THAKUR,  
मोहल्ला MEENA BAZAR MADHUPUR  
DEOGHAR, 815353  
8825356568

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0210000534000M0 वार्ड सं. 21 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।  
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

| स्व-निर्धारित कर की सूचना |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| क्रम सं.                  | Particulars   | Amount (In Rs.) |
| 1.                        | गृह कर  | 118.00          |
| 2.                        | जल कर   | 0.00            |
| 3.                        | शौचालय कर   | 0.00            |
| 4.                        | बिजली कर  | 0.00            |
| 5.                        | अतिरिक्त गृह कर<br>(वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण) | 0.00            |
| कुल राशि (प्रति तिमाही)   |   | 118.00          |



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- निचमावली कंडिका 11 4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा।  
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान वैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण छूटि कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय छूटि को निदिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर निचमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा संबलित इस सम्पति कर इन इमरतों/दाचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.